# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक – 07.03.25

रीडर/2025/ 1059

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थीगण

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 नारायणराम 2 प्रभूराम पिसरान दलाराम 3 किशनीदेवी पत्नि दलाराम जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर। | | 1 भुराराम पुत्र मोटाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर। |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बावत

राजस्व आवेदन संख्या :–729/2024 दिनांक– 04/03/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 847/188 रकबा 6.1836 हेक्टयर, खसरा संख्या 848/196 रकबा 1.0846 हेक्टयर, खसरा संख्या 849/199 रकबा 1.4569 हेक्टयर, खसरा संख्या 850/128 रकबा 0.9712 हेक्टयर, व खसरा संख्या 855/119 रकबा 1.8616 हेक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमवन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 1060-63 दिनांक– 07.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण नारायणराम पुत्र दलाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भुराराम पुत्र मोटाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.19 10:05:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर